भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1201
दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ

जनयोजना अभियान के उद्देश्य

1201. श्री पी. पी. चौधरीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जन योजना अभियान के उद्देश्यों और कार्यान्वयन ढांचे का ब्यौरा क्या है और इस पहल के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस अभियान के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा इस संबंध में कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ग) क्या ग्रामीण आत्मनिर्भरता और स्थायित्व पर इस अभियान के प्रभाव को मापने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) उक्त अभियान के अंतर्गत कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की गई हैं और सरपंचों, पंचायत सदस्यों और निवासियों की भागीदारी का स्तर क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस पी. सिंह बघेल)

(क) मंत्रालय वर्ष 2018 से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में जन योजना अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राम/ग्राम पंचायतों, ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों सहित जमीनी स्तर पर साक्ष्य आधारित, समग्र और समावेशी विकास योजनाओं को संरचित तरीके से तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सरपंचों, पंचायत सदस्यों और निवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि स्थानीय विकास के मुद्दों, जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान की जा सके और उसी विषयगत संकल्प के आधार पर व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है, जिसका लक्ष्य किसी विशेष विषय में शामिल सभी क्षेत्रों में सेवाओं और बुनियादी ढांचे की संतृप्ति करना है। योजना वर्ष 2024-25 में जीपीडीपी का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) पंचायतें ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर योजना तैयार करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत आवंटन और उपयोग (ईग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार) निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	आवंटन	उपयोग (eGSके अनुसार)
2021-22	44901.00	34246.10
2022-23	46513.00	30033.30
2023-24	47018.00	21658.00

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों को ग्रामीण स्थानीय निकायों को 60% टाइड और 40% अनटाइड अनुदानों के रूप में आवंटित किया गया है। टाइड अनुदानों का उपयोग स्थानीय ज़रूरतों और टाइड अनुदानों के व्यय के दिशा-निर्देशों के आधार पर विषयगत पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में विधिवत रूप से शामिल किए गए जल और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए किया जाना है। इसी तरह, शेष 40% अनटाइड अनुदानों का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायतों द्वारा लिए गए विषयगत संकल्प सहित अन्य स्थानीय महसूस की गई ज़रूरतों और प्राथमिकता के आधार पर पीडीपी में शामिल परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए किया जाना है।

(ग) मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 17 SDGs को 9 विषयों में संकलित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सतत विकास एजेंडा को जमीनीस्तर पर हासिल करना है। विषयगत दृष्टिकोण अपनाने के बाद, जमीनी स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए पंचायत विकास योजनाएं (पीडीपी) तैयार की जा रही हैं।स्थानीयकृत SDGs को प्राप्त करने में और SDG 2030 को हासिल करने में पंचायती संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, मंत्रालय ने पंचायती विकास सूचकांक (PDI) तैयार करने की प्रक्रियाभी शुरू किया है, जो LSDGs के 9 विषयों में विभिन्न स्थानीय विकास संकेतकों पर पंचायती संस्थाओं के प्रदर्शन पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती संस्थाओं द्वारा LSDGs को प्राप्त करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन से, यह उम्मीद की जाती है कि PDI इन ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकास की खामियों की पहचान करके यह पंचायती विकास योजनाओं (PDP) के माध्यम से जमीनी स्तर पर साक्ष्य-आधारित योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण मदद करेगा, जिससे पंचायतों के स्वावलंबन की ओर तीव्र विकास होगा।

(घ) मंत्रालय के पास जीपीडीपी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभियान वर्ष 2024-25 में 141690 सभाएँ आयोजित की गईं, जिसमें यह वांछनीय है कि निर्वाचित प्रतिनिधि, अधिकारी और ग्राम सभा के पात्र सदस्य सक्रिय रूप से भाग लें ताकि समावेशी और सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा सके। राज्यवार विवरण **अनुबंध** -II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण के संबंध में दिनांक 03/12/2024 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित **प्रश्न संख्या 1201 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

वर्ष 2024-25 में जीपीडीपी का राज्यवार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ग्राम पंचायत एवं समकक्ष	
		कुल पंचायतों की संख्या	कुल स्वीकृत पंचायतों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	70	70
2	आंध्र प्रदेश	13328	13310
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	2098
4	असम	2662	2195
5	बिहार	8054	8053
6	छत्तीसगढ़	11643	11581
7	गोवा	191	188
8	गुजरात	14656	14519
9	हरियाणा	6224	6211
10	हिमाचल प्रदेश	3615	3615
11	जम्मू और कश्मीर	4291	3946
12	झारखंड	4345	4333
13	कर्नाटक	5952	5946
14	केरल	941	941
15	लद्दाख	193	193
16	लक्षद्वीप	10	0
17	मध्य प्रदेश	23011	23001
18	महाराष्ट्र	27951	27750
19	मणिपुर	3812	0
20	मेघालय	6832	0
21	मिजोरम	843	670
22	नागालैंड	1315	0
23	ओडिशा	6794	6790
24	पुदुचेरी	108	0
25	पंजाब	13238	12917
26	राजस्थान	11222	11200
27	सिक्किम	199	199
28	तमिलनाडु	12525	11962
29	तेलंगाना	12772	12762
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	38
31	त्रिपुरा	1194	1176
32	उत्तराखंड	7790	7792
33	उत्तर प्रदेश	57691	57687
34	पश्चिम बंगाल	3339	3338

अनुबंध-II

ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण के संबंध में दिनांक 03/12/2024 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित **प्रश्न संख्या 1201 के भाग** (घ) **के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

क्रम सं	**राज्य का नाम**	आयोजित सभाएं
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	**27**
2	आंध्र प्रदेश	**6**
3	अरुणाचल प्रदेश	**1149**
4	असम	**25**
5	बिहार	**737**
6	छत्तीसगढ़	**15589**
7	गोवा	**179**
8	गुजरात	**0**
9	हरियाणा	**3330**
10	हिमाचल प्रदेश	**3116**
11	जम्मू और कश्मीर	**2339**
12	झारखंड	**3591**
13	कर्नाटक	**913**
14	केरल	**0**
15	लद्दाख	**0**
16	लक्षद्वीप	**0**
17	मध्य प्रदेश	**22425**
18	महाराष्ट्र	**0**
19	मणिपुर	**0**
20	मेघालय	**0**
21	मिजोरम	**849**
22	नागालैंड	**0**
23	ओडिशा	**7277**
24	पुदुचेरी	**0**
25	पंजाब	**0**
26	राजस्थान	**2061**
27	सिक्किम	**0**
28	तमिलनाडु	**12184**
29	तेलंगाना	**0**
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	**2**
31	त्रिपुरा	**698**
32	उत्तराखंड	**7592**
33	उत्तर प्रदेश	**53941**
34	पश्चिम बंगाल	**3693**
कुल		**1,41,723**

***